कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा / सी–5 / स्थानांतरण / 2019–20 / 1–163 दिनांक–29.09.2019 के तहत् शिल्पा बालावत व्याख्याता अर्थशास्त्र राउमावि पंढेर, भीलवाडा का स्थानांतरण राउमावि केकडी, अजमेर में किया गया। शिल्पा बालावत ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 18759 / 2019 शिल्पा बालावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18759 / 2019 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.20 द्वारा अपीलार्थी शिल्पा बालावत को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना याचिकार्थीया को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया शिल्पा बालावत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पति केन्द्र सरकार में राजस्थान से बाहर कार्यरत होने, वृद्व सास ससुर की सेवा सुश्रषा एवं एवं 6 वर्षीय पुत्र की देखभाल हेतु गृह जिला कोटा राउमावि आवा सागोद / कोटा ब्लाक में नवीन क्रमोन्नत विधालय में पदस्थापन की परिवेदना प्रस्तुत की गई है ।

याचिकार्थीया से संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों / परिपत्रों और नियमो के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया । याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित / राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन / स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थीया द्वारा स्थानातंरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है । याचिकार्थीया द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्दनेजर रखते हुए याचिकार्थीया द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता हैं। संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / सी–5 / शिल्पा / 18759 / 19 | 22 दिनांकः– 20 / 02 / 2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
02 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
04 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
05 जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08 संबंधित प्राधानाचार्य / कार्मिक / रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान